



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 04.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैलानी पुलिस द्वारा 210 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अदद अवैध तमंचा, 21 अदद कारतूस एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैलानी पुलिस द्वारा ग्राम सुआबोझ कॉलोनी से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 210 लीटर अवैध शराब, 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 21 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. शिवा पुत्र अशोक नि० सुआबोझ कॉलोनी थाना मैलानी खीरी
2. अजीत उर्फ विष्णु पुत्र वेदप्रकाश नि० सुआबोझ कॉलोनी थाना मैलानी खीरी

विवरण बरामदगी-

- 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 21 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 210 ली० अवैध कच्ची शराब
- 04 ड्रम
- पतीला आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० प्रवीण कुमार
2. हे०का० धर्मेन्द्र यादव
3. का० सौरभ वर्मा
4. का० शोभित
5. का० रोबिन
6. का० विकास कुमार

थाना मैलानी पुलिस द्वारा कुल 206 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैलानी पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 206 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. लाखन पुत्र गोवरे लोनिया नि० बेलहिया थाना मैलानी खीरी
2. धर्मेन्द्र पुत्र स्व० सूरज प्रसाद लोनिया नि० ग्राम गंगापुर ग्रन्ट नं० 10 थाना मैलानी खीरी

विवरण बरामदगी-

- अभियुक्त लाखन के कब्जे से 100 ली० अवैध कच्ची शराब
- अभियुक्त धर्मेन्द्र के कब्जे से 106 ली० अवैध कच्ची शराब
- अवैध शराब बनाने के विभिन्न उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सतीश चन्द्र
2. उ०नि० कौशल किशोर यादव
3. हे०का० विकास पवार
4. हे०का० राकेश कुमार
5. का० ऋषभ
6. हे०का० राणाप्रताप
7. हे०का० राजेश त्रिवेदी

थाना निघासन पुलिस द्वारा 25 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 किलोग्राम यूरिया एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित अभियुक्त काशी को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त काशी पुत्र रतनू चौहान नि० ग्राम पुरैना थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 किग्रा० यूरिया व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० करूणेश चन्द्र शुक्ल
2. का० नागेन्द्र कुमार
3. का० सचिन मावी
4. का० सूर्य प्रभाकर

थाना पलिया पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त सोनू उर्फ मौजीराम को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में आज दिनांक 04-04-2021 को थाना पलिया पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त सोनू उर्फ मौजीराम पुत्र काशीराम नि० विष्णुपुर थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 138/21 धारा 3/10 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा कुल 90 ली0 अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना धौरहरा पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 90 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजू पुत्र हरिश्चन्द्र नि0 अमेठी थाना धौरहरा खीरी
2. सुरेश पुत्र शिवचरण भार्गव नि0 लोथन लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी
3. राकेश पुत्र मटरू नि0 सिसैया कलां थाना धौरहरा खीरी
4. रामस्वरूप पुत्र रामऔतार नि0 सिसैया कलां थाना धौरहरा खीरी
5. शत्रुहन पुत्र लल्लू नि0 चहलुआ मजरा रमियाबेहड़ थाना धौरहरा खीरी

विवरण बरामदगी-

- अभियुक्त राजू के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब
- अभियुक्त सुरेश के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब
- अभियुक्त राकेश के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब
- अभियुक्त रामस्वरूप के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब
- अभियुक्त सुरेश के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब
- अवैध शराब बनाने के विभिन्न उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राजेश कुमार यादव
2. हे०का० विजय शंकर पाण्डेय
3. हे०का० वशिष्ठ पाण्डेय
4. हे०का० मृत्युंजय पाण्डेय
5. हे०का० अशोक कुमार सिंह
6. हे०का० कुंवर अजीत सिंघल
7. का० राजेश कुमार
8. का० शिवम कुमार
9. का० सोनवीर
10. का० कर्मवीर सिंह

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा कुल 90 ली० अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना ईसानगर पुलिस द्वारा ग्राम महरिया से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 90 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. माताप्रसाद पुत्र पाधा नि० महरिया थाना ईसानगर खीरी
2. भुरऊ पुत्र अशर्फी चौहान नि० महरिया थाना ईसानगर खीरी
3. सरवन पुत्र अशर्फी चौहान नि० महरिया थाना ईसानगर खीरी

विवरण बरामदगी-

- अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 90 लीटर अवैध कच्ची शराब
- अवैध शराब बनाने के विभिन्न उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० संजय कुमार त्यागी
2. उ०नि० कुलदीप सिंह
3. का० जय कुमार
4. का० नवीन कुमार
5. का० लाखन सिंह
6. म०का० रुमा देवी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त धीरज गुप्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त धीरज गुप्ता पुत्र रामरतन गुप्ता निवासी भुर्जी वाली गली कस्बा व थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 176/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त रामपाल को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियुक्त रामपाल पुत्र केसरी लाल निवासी चिल्लापुरवा थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 99/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त विनीत शुक्ला को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त विनीत शुक्ला पुत्र विभूति शुक्ला निवासी बाइकुआं थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 177/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त रोहित मिश्रा को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित मिश्रा पुत्र स्व० दिनेश मिश्रा निवासी गणेशपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 84/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **1782 लीटर अवैध कच्ची शराब, 27 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **54 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मोहम्मदी	116 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना ईसानगर	98 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना संपूर्णनगर	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना निघासन	300 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना गोला	340 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना धौरहरा	100 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मैलानी	416 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना पलिया	18 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना हैदराबाद	40 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना फरधान	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
11.	थाना खीरी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
12.	थाना फूलबेहड़	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
13.	थाना नीमगाव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
14.	थाना तिकुनिया	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
15.	थाना मितौली	83 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
16.	कोतवाली सदर	116 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	1782 लीटर	54 अभियुक्त गिरफ्तार